Court
DW

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / राजस्व / 2026 / 688 दिनांकः– 12 / 05 / 2026

प्रेषिति :–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ

विषय :–इजराय प्र0सं0 38 / 2025 गोपाल बनाम घीरीलाल की पालना किये जाने बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान् के पत्रांक / रीडर / 2025 / 3099 दिनांक 27.11.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्र0सं0 38 / 2025 गोपाल बनाम घीसीलाल की पालना हेतु भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का लक्ष्मीखेडा को लिखा जाकर रिपोर्ट ली गयी।

भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का लक्ष्मीखेडा द्वारा मौका पर्चा अनुसार इजराय प्रकरण संख्या 38 / 2025 की पालना हेतु ग्राम मण्डोल की आराजी नं0 598 / 204 रकबा 0.8094 है0 भूमि पर वादी खातेदार श्री गोपाल लाल पिता उदयलाल कोली व प्रतिवादीगण व मौतविरान के साथ पहुंचे । भूमि के 0.0971 है0 भूमि पर घीसीलाल पिता जीतमल धाकड निवासी लक्ष्मणपुरा व 0.0647 है0 भूमि पर मन्नालाल पिता जीतमल धाकड निवासी लक्ष्मणपुरा के कब्जे से प्रतिवादीगणो को बेदखल किया जाकर वादी खातेदार को कब्जा सिपुर्द किये जाने का आदेश होने से आ0नं0 187 व 191 मुस्तकिल निशानात से भूमि की नपती की जाकर कब्जा प्रार्थी वादी खातेदार को सिपुर्द किया गया व प्रतिवादीगणो को पाबन्द किया कि वादी की उक्त भूमि पर किसी प्रकार का उज्र एतराज न करें, कब्जे से वादी को बेदखल न करें।

अतः भू.अ.नि. / पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा की प्रति सलंग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(ललित कुमार डीडवानिया)
तहसीलदार बिजौलिया

PD ki palna latter 239

Rev
08/05/26

मौका पर्चा याददाश्त ग्राम- मंडोल

आज दिनांक 08.05.26 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय (बिजोलियां) के मूलवाद पत्र संख्या 58/2023, अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्त. अधिनियम व इजराय प्रपत्र 38/25 के अन्तर्गत निर्णय अनुसार ग्राम मंडोल की आराजी 598/204 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर वादी खातेदार श्री गोपाल लाल (पिता) उदयलाल कोली व प्रतिवादीगण व मौतबिरान के साथ पहुंचे। भूमि के 0.0971 हे. भूमि पर धीसालाल पिता पीतमल धाकड़ निवासी लक्ष्मणपुरा व 0.0647 हैक्टेयर भूमि पर मन्नालाल पिता पीतमल धाकड़ निवासी लक्ष्मणपुरा के कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी खातेदार को कब्जा सुपुर्द किये जाने का आदेश होने से आरा. 187 व 191 मुताबिक निशानात से भूमि की नपती की जाकर कब्जा भूमि वादी खातेदार को सुपुर्द किया गया व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया कि वादी की उक्त भूमि पर किसी प्रकार का उज्र तकरार न करे कब्जे से वादी को बेदखल न करें।

बाद कार्यवाही मौका पर्चा तैयार किया जाकर पढ़कर सुनाया गया व उपस्थित के हस्ताक्षर लिये गये।

धीसालाल

(बिजोलियां)
08.05.26

पं. लक्ष्मीदेवी

पुखराज

धरमचन्द